काउन्सलिंग हेतु दिशा–निर्देश

वर्ष 2023 के समूह–5 महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं आवंटन हेतु निम्नानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी :–

1. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा वर्ष 2023 के समूह–5 के परीक्षा परिणामों के संबंध में जारी प्रतीक्षा सूची ही बचे हुए रिक्त पदों पर चयन हेतु आधार सूची होगी।
2. यह काउंसलिंग एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से की जावेगी। इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 600+जी.एस.टी. ऑनलाईन एमपी ऑनलाईन को देय होगा।
3. प्रतीक्षा सूची के अभ्यार्थियों को प्राप्त रैंक के आधार पर एवं उनके द्वारा दिये गये जिलों की वरीयता क्रम एवं वर्गवार रिक्त पदों के आधार पर पदस्थापना जिले का आवंटन एम.पी. ऑनलाईन द्वारा किया जायेगा।
4. अभ्यार्थियों द्वारा Choice Filling दिनांक 13.10.2025 से 23.10.2025 तक की जा सकेगी।
5. अभ्यार्थियों द्वारा Choice Filling के समय अपनी पसंद अनुसार (रिक्त पद अनुसार) वर्गवार समस्त जिलों की वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा ।
6. Choice Filling करने के बाद सबमिट किये जाने व राशि भुगतान उपरांत वरीयता के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. उक्त काउंसलिंग में अभ्यार्थी को आवंटित जिला अंतिम होगा। ऐसे अभ्यार्थी जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते है अथवा आवंटित जिले में दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथि पर अनुपस्थित रहते हैं अथवा दस्तावेज सत्यापन उपरांत अपात्र होते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुये इन पदों को रिक्त माना जावेगा।
8. अभ्यार्थी को आवंटित जिले में नियत तिथि पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा ।
9. यदि काउंसलिंग उपरांत सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति MPESB द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची के माध्यम से पुनः काउंसलिंग द्वारा की जावेगी।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची, नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात जानकारी आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे ।

File No. 1/1/0063/2025-FAM-WEL-MPDHS (Computer No. 662319)
Generated from eOffice by Rajesh Sharma, AG3(RS)-FW-MPDHS, ASSISTANT GRADE 3, Madhya Pradesh Directorate of Health Services on 08/10/2025 04:52 pm

11. **ऐसे अभ्यार्थी जिन्हें वर्ष 2023 में विज्ञापित पदों के विरूद्व नियुक्ति प्राप्त हो चुकी है, वे इस काउंसलिंग में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। ऐसे अभ्यार्थियों द्वारा काउंसलिंग में भाग लिये जाने पर उनके विरूद्व सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।**
12. अभ्यार्थी का चयन यदि अन्य विभाग व अन्य पद पर हो गया है, तदोपरांत अभ्यार्थी द्वारा उक्त विभाग अथवा अन्य पद पर अपनी उपस्थिति (ज्वाईनिग) प्रदाय की गई है, तो ऐसे अभ्यार्थी महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे।
13. किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।
14. किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा ।
15. काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश समय–समय पर आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यार्थियों हेतु वेबसाईट health.mp.gov.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे, तत्संबंध में विभागीय वेबसाईट चयनित अभ्यार्थी चेक करते रहें ।

संचालक (अराजपत्रित)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,
मध्य प्रदेश

File No. 1/1/0063/2025-FAM-WEL-MPDHS (Computer No. 662319)
Generated from eOffice by Rajesh Sharma, AG3(RS)-FW-MPDHS, ASSISTANT GRADE 3, Madhya Pradesh Directorate of Health Services on 08/10/2025 04:52 pm